प्रसार भारती
प्रादेशिक समाचार एकांश
आकाशवाणी रायपुर (छत्तीसगढ़)

**प्रादेशिक समाचार बुलेटिन**

**18.45 भाुक्रवार** **दिनांक 20.03.2026**

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

**मुख्य समाचारः–**

1–छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज हुआ समापन–छत्तीसगढ़ लोक भर्ती और व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों का रोकथाम विधेयक सर्वसम्मति से पारित किया गया।

2–केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री और मुख्यमंत्री की वर्चुअल मौजूदगी में जल जीवन मिशन टू पॉइंट जीरो के तहत केन्द्र और राज्य सरकार के बीच एमओयू पर किए गए हस्ताक्षर।

3–भगवान झूलेलाल की जयंती और चेट्रीचण्ड्र का पर्व आज आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है।

4– प्रदेश में आगामी चौबीस घंटों के दौरान दक्षिण छत्तीसगढ़ में एक–दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना।

**विधानसभा समाचार–01**

छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज समापन हो गया है। तेईस फरवरी से शुरू हुए सत्र के दौरान कुल पन्द्रह बैठकें हुई। समापन अवसर पर सभापति धरमलाल कौशिक ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के संदेश का वाचन किया। श्री कौशिक ने बताया कि इस सत्र में कुल दो सौ चवालीस स्थगन की सूचनाएं प्राप्त हुईं। शून्यकाल की एक सौ सैंतीस सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें चालीस सूचनाएं ग्राह्य रहीं। इसके अलावा सात अशासकीय संकल्प ग्राह्य हुए तथा एक संकल्प स्वीकृत हुआ। वहीं, आठ विधेयकों पर चर्चा हुई और सभी पारित हुए। बजट सत्र के दौरान वित्तीय वर्ष दो हजार छब्बीस सत्ताईस के आय–व्यय अनुमान, अनुदान मांगों और विनियोग विधेयक पर भी चर्चा हुई। बजट सत्र के सुचारू संचालन में सहयोग के लिए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सिंह ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत सहित सदन के सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया।

इससे पहले, आज सदन में छत्तीसगढ़ लोक भर्ती और व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों का रोकथाम विधेयक सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। इस नए कानून में नकल माफिया, फर्जी अभ्यर्थियों और तकनीकी माध्यमों से धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई किए जाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही दोषी पाए जाने पर तीन से दस वर्ष तक की सजा और अधिकतम एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। वहीं, नकल में संलिप्त अभ्यर्थियों को तीन वर्षों तक किसी भी भर्ती परीक्षा में शामिल होने से वंचित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा कि यह कानून नकल गिरोहों पर निर्णायक कार्रवाई के लिए बनाया गया है। संगठित अपराध की स्थिति में आरोपियों की संपत्ति जब्त करने और कुर्की करने का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के जरिए नकल करने वालों पर विशेष रूप से सख्ती बरती

जाएगी। श्री साय ने कहा कि कानून का दायरा व्यापक होगा और यह पीएससी, व्यापमं, निगम–मंडल समेत सभी भर्ती और व्यावसायिक परीक्षाओं पर लागू होगा।

## विधानसभा समाचार–02

वहीं, सदन में आज वाणिज्यिक कर मंत्री ओपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत छत्तीसगढ़ उपकर संशोधन विधेयक को भी पारित कर दिया गया। इस विधेयक का उद्देश्य संपत्ति पंजीयन पर लगने वाले बारह प्रतिशत अतिरिक्त उपकर शुल्क को समाप्त करना है। इस संशोधन से संपत्ति खरीदने वाले लोगों को राहत मिलेगी और स्टाम्प शुल्क में कमी आएगी।

इससे पहले, विधानसभा में कल छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अधिनियम संशोधन विधेयक को भी पारित कर दिया गया। अब छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल का नाम बदलकर छत्तीसगढ़ गृह और अधोसंरचना विकास मंडल किया गया है। इसके अलावा सदन में छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश संशोधन विधेयक को भी ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।

## छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक

छत्तीसगढ़ विधानसभा में कल छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक को चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि इस विधेयक में धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। अब धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष आवेदन देना होगा। इसके बाद निर्धारित समय–सीमा में सूचना सार्वजनिक की जाएगी और आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। जांच के बाद ही प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छा से धर्म चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता रहे, लेकिन यह परिवर्तन किसी दबाव, प्रलोभन या भय के कारण न हो, इसकी जांच अनिवार्य होगी। विवाह को धर्मांतरण का आधार नहीं माना गया है और विवाह के बाद भी धर्म परिवर्तन के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक होगा।

अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए विधेयक में कड़े प्रावधान किए गए हैं। सामान्य अवैध धर्मांतरण पर सात से दस वर्ष तक कारावास और न्यूनतम पांच लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। वहीं, महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, नाबालिग आदि के अवैध धर्मांतरण पर दस से बीस वर्ष तक कारावास और न्यूनतम दस लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। जबकि, सामूहिक अवैध धर्मांतरण पर आजीवन कारावास और न्यूनतम पच्चीस लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नये विधेयक के लागू होने से समाज के कमजोर वर्गों को प्रलोभन, दबाव अथवा भ्रम फैलाकर धर्मांतरण कराने की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगेगा।

## जल जीवन मिशन–एमओयू

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज विधानसभा परिसर से जल जीवन मिशन टू पॉइंट जीरो के तहत केन्द्र और राज्य के बीच एमओयू कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल की वर्चुअल मौजूदगी में अधिकारियों ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए।

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि "हर घर जल" के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जल जीवन मिशन के तहत हुए एमओयू से इन कार्यों में गति मिलेगी।

केन्द्रीय जल शक्तिमंत्री श्री पाटिल ने कहा कि इस एमओयू के बाद छत्तीसगढ़ में पाईपलाइन और संरचानाओं के माध्यम से प्रत्येक घर में पानी की पहुंच सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों को सशक्त अधिकार प्राप्त होंगे और इन संरचानाओं के रखरखाव के लिए वे जिम्मेदार होंगे। जिला प्रशासन के जरिए पंचायत के कार्यों पर निगरानी रखी जाएगी।

**मुख्यमंत्री–अधिकारी मुलाकात**

---

नेशनल डिफेंस कॉलेज के प्रशिक्षु सैन्य और सिविल सेवा अधिकारियों के पन्द्रह सदस्यीय अध्ययन दल ने आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से रायपुर में मुलाकात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विकास की सबसे बड़ी बाधा नक्सलवाद को केन्द्र और राज्य सरकार ने मिलकर अब दूर कर दिया है।

**खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स**

---

प्रदेश में पच्चीस मार्च से शुरू हो रहे खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स में देशभर के जनजातीय खिलाड़ी सात खेलों में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। उपमुख्यमंत्री अरूण साव ने बताया कि शुभारंभ अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। ट्राइबल गेम्स में देश के बत्तीस राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के करीब तीन हजार खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इसमें छत्तीसगढ़ के एक सौ चौंसठ खिलाड़ी भी शामिल हैं।

**बातों–बातों–में**

श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश का समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम ''बातों–बातों में'' इस बार **छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद की समस्या से मुक्त बनाने के लिए किए प्रयासों पर केन्द्रित रहेगा।** इस कार्यक्रम का प्रसारण कल इक्कीस मार्च को आकाशवाणी केन्द्र रायपुर द्वारा एफ.एम. और प्राईमरी चैनल पर सुबह नौ बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे।

**अफीम खेती**

---

दुर्ग और बलरामपुर के बाद अब रायगढ़ जिले में भी अफीम की खेती किए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक तमनार थाना क्षेत्र के ग्राम आमाघाट में करीब एक एकड़ क्षेत्र में अन्य फसलों के बीच में अफीम की खेती की जा रही थी। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। जांच में पता चला कि झारखंड निवासी मार्शल सांगा आमाघाट में रहकर अफीम की खेती कर रहा था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

**चेट्रीचण्ड्र–पर्व**

---

भगवान झूलेलाल की जयंती और चेट्रीचण्ड्र का पर्व आज आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं, कई स्थानों पर शोभायात्रा निकाली भी जा

रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों, विशेषकर सिंधी समाज को चेट्रीचण्ड्र पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।

**मौसम का हाल...**

---

प्रदेश में आगामी चौबीस घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। वर्षा का क्षेत्र मुख्यतः दक्षिण छत्तीसगढ़ रहेगा। वहीं, मौसम विभाग द्वारा एक–दो स्थानों पर गरज–चमक के साथ अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। प्रदेश के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज किए जाने के भी आसार है।

इस बीच, बस्तर जिले में आज दोपहर बाद अचानक तेज आंधी–तूफान और गरज–चमक के साथ बारिश हुई। इस दौरान कुछ स्थानों पर ओले भी गिरे।

**समाचार संक्षेप में ...**

–आज वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्हें नमन किया है।

–आदर्श शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था भिलाई द्वारा जीई रोड स्थित पावर हॉउस परिसर में चौबीस मार्च को एक दिवसीय जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। इसमें विभिन्न कंपनियां आईटीआई, दसवीं और बारहवीं पास युवाओं की भर्ती करेंगी।

–सारंगढ़–बिलाईगढ़ जिले की सरिया पुलिस ने अवैध गांजा तस्करी करने के मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से करीब एक सौ पच्चीस किलो गांजा जब्त किया गया है।

–एंटी करप्शन ब्यूरो–एसीबी बिलासपुर की टीम ने जांजगीर–चांपा जिले के
विद्युत विभाग के सहायक अभियंता राजेन्द्र शुक्ला, उप अभियंता विजय नोरगे और सहायक ग्रेड–एक देवेंद्र राठौर को पैंतीस हजार रूपये रिश्वत लेते रंगेहाथों गिरफ्तार किया है।

**<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>**
**<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>**